

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी): बरौनी में जो आग लगी है 11 नवम्बर को, उसके बारे में जो स्टेटमेंट रक्खा गया है उसके मुताल्लिक मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले श्रीलिमये ने यहाँ इसका उठाया था। अब मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दे दिया है। इस तरह से हम लोगों को सवाल करने का मौका नहीं मिलता है। हम उनको क्रास एग्जामिन नहीं कर सकते। आप को जो काल अटेंशन नोटिस इसके लिये दी गई थी आप उसको मंजूर कर लेते और उम के बाद मंत्री महोदय स्टेटमेंट देते तो हम उन से सवाल कर लेते। अब जब भी मंत्री महोदय कोई स्टेटमेंट दें तब आप मेम्बरों को सवाल करने का मौका दें। आज जो स्टेटमेंट हो रहा है उसके बारे में आप हम को सवाल करने से महरूम क्यों करते हैं? जब सदन किसी चीज के बारे में काल अटेंशन नोटिस देता है तब आप पहले उसको मंजूर कर लिया करें उस के बाद मंत्री महोदय को बयान देने की इजाजत दी जाये।

श्री रामाबतार शास्त्री (पटना): यह सही चीज है। इस मामले पर जिन लोगों ने काल अटेंशन नोटिस दिया था बेहतर था कि उनको पहले बहस करने का मौका दिया जाता उसके बाद मंत्री महोदय स्टेटमेंट देते। ऐसा न होने से बहुत सी बातों का पता नहीं लग पायेगा।

अध्यक्ष महोदय: अब तो यह अजेंडा पेपर पर आ चुका है।

श्री रामाबतार शास्त्री: इसके बारे में जो काल अटेंशन नोटिस दी गई है, आप पहले उन को मान लें तब फिर मंत्री स्टेटमेंट दें।

WEST BENGAL (PREVENTION OF VIOLENT (ACTIVITIES) ACT.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(SHRI K. C. PANT) : I beg to lay on the Table a copy of the West Bengal (Prevention of Violent Activities) Act, 1970 (President's Act No. 19 of 1970) published in Gazette of India dated the 22nd November, 1970, under sub-section (3) of section 3 of the West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1970. [Placed in Library. See No. LT-4349/70].

12.52 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

“In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Air Corporations (Amendment) Bill, 1970, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 17th November, 1970.”

AIR CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I lay on the Table of the House the Air Corporations (Amendment) Bill, 1970, as passed by Rajya Sabha.

12.53 hrs.

ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYASABHA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Advocates Act,